

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग


क्रमांक:पं0 10()चिस्वा/2/2018/आईडी-1590

जयपुर,दिनांक: 28/08/11

आदेश

राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 8क के नीचे राज्य सरकार के निर्णय संख्या 5 में दिये गये प्रावधान के अनुसार डॉ0 ममता मीना के उपनाम "मीना" के स्थान पर "विजय" किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। अतः भविष्य में इन्हें डॉ0 ममता विजय नाम से ही जाना जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव महोदया।
2. निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय-अलवर।
4. डॉ. ममता विजय, चिकित्सा अधिकारी, जरिये निदेशक (जन.स्वा.)
5. निजी/रक्षितपत्रावली।

//
(ओ.पी. वर्मा)
शासन सहायक सचिव


राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: राजप/चि0अ0/एम-1684/2018/1130 दिनांक : 15/09/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर।
2. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज कोटा
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय, अलवर।
4. प्रभारी, सर्वर रूम को भेज कर लेख है कि आज ही सम्बन्धित अधिकारी की मेल आई डी पर अपलोड करावे का श्रम करें।
5. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, एटीसी/डीपीसी प्रकोष्ठ मुख्यालय।
6. डॉ० ममता विजय चिकित्सा अधिकारी सीएस (पीजी अध्ययनरत) मेडिकल कालेज कोटा को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
7. आदेश/रक्षित/निजी पत्रावली।


प्रशासनिक अधिकारी (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।